तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	सुनील पारीक बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 174/2019
28.10.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुनील पारीक पता पुरोहित भवन, स्व. नानसिंह जी क बंगले के पीछे, इन्द्रोका, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.07.19 में उसके द्वारा (1) वर्तमान मे राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम इंद्रोका(ब्लॉक मंडोर जोधपुर)भूमिगत जल संरक्षण हेतु Artificial Ground water Recharge के क्या क्या प्रयोग अपनाये जा रहे है। क्या क्या कार्य करवाये जा रहे है व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1420 दिनांक 26.09.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर मृदा एवं जन संरक्षण विभाग जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत परियोजना प्रबन्धक, मृदा एवं जल संरक्षण विभाग, जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 903 22.07.19 द्वारा अन्तरित कर प्रार्थी को भी सूचनार्थ पत्र जारी किया गया। चूंकि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रक्रिया के तहत लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को स्थानान्तरित करते हुए प्रार्थी को भी सूचनार्थ पत्र जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेंटर जोधपुर ने अपने पत्रांक 4780 दिनांक 26.08.19 के द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है, प्रथमतः यह अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य है, द्वितीयत् अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेंटर जोधपुर द्वारा सूचना के बारे में सूचित किया गया, उससे किसी प्रकार से व्यथित है तो उनके सक्षम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। उपरोक्त विचेनानुसार अपील इस स्टेज पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2019.11.09 11:31:09 IST
Reason: SelfAttested